भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 434

19 जुलाई 2022 को उत्तरार्थ

सीएसआईएसएसी के अंतर्गत धनराशि

434. सुश्री मिमी चक्रवर्ती:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में शुरू की जाने वाली नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सहकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोई संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2022-23 के लिए देशभर में विशेषरूप से पश्चिम बंगाल में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसके विकास के लिए केंद्रीय कृषि सहकारिता क्षेत्र समेकित योजना (सीएसआईएसएसी) के तहत धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): भारतीय सहकारी क्षेत्र में लगभग 29 करोड़ सदस्यों वाली 8.55 लाख प्राथमिक सहकारिताओं को आर्थिक रूप से जीवंत बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के माध्यम से एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए त्रिस्तरीय ग्रामीण ऋण अवसंरचना के जमीनी स्तर पर मौजूद 63,000 कार्यशील पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने के लिए सरकार द्वारा 2516 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ "प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण" की एक केन्द्र प्रायोजित परियोजना स्वीकृत की गई है । यह परियोजना बड़े पैमाने पर उनके प्रचालनों में पारदर्शिता व दक्षता लाएगा ।

पैक्स के व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाकर उन्हें ग्रामीण/पंचायत स्तर पर जीवंत बहुउद्देशीय आर्थिक इकाई बनाने के लिए राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी संघों और अन्य सभी हितधारकों की परामर्श से प्रारूप मॉडल उप-नियम भी तैयार किए जा रहे हैं ।

सभी स्तर पर सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास के लिए मंत्रालय, सभी हितधारकों की परामर्श से "सहकार से समृद्धि" नामक एक नई योजना भी बना रही है । सहकारिता क्षेत्र में शिक्षण और प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण और पेशेवरता बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की परामर्श से शिक्षण और प्रशिक्षण सहकारी संस्थानों को पुन:उन्मुख करने के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के साथ-साथ रोज़गार अवसरों के सृजन में भी भारी वृद्धि हो सके ।

(ग) और (घ): केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता योजना (सीएसआईएसएसी) को अब बंद कर दिया गया है और सभी राज्यों के लिए योजना के अधीन प्रतिबद्ध देनदारियों हेतु वर्ष 2022-23 के बजट आवंटन में 50 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है । सीएसआईएसएसी योजना के अधीन पिछले 5 वर्षों में पश्चिम बंगाल की सहकारी समितियों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है: -

क्रमसं.	**वर्ष**	**पश्चिम बंगाल में संवितरण (करोड़ रुपए में)**
1	2017-18	16.98
2	2018-19	329.34
3	2019-20	128.35
4	2020-21	59.13
5	2021-22	44.16
	कुल	**577.96**

******